न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या–**260/2026**

श्रीमती अंगूरी बनाम **श्रीमती शालू आदि**

थाना–**नकुड़**

जनपद–**सहारनपुर।**

दिनांक–**03.07.2026**

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना गया।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि "प्रार्थिया एक गरीब बुजुर्ग विधवा महिला है। प्रार्थिया ने अपने पुत्र राहुल का विवाह दिनांक 11.12.24 को विपक्षीया नं0 1 शालू के साथ हिन्दू धर्म व रीति–रिवाज के अनुसार किया था। विवाह के पश्चात प्रार्थीया के पुत्र राहुल ने अपनी पत्नी को सम्मानपूर्वक प्रेम पूर्वक अपने साथ रखा हुआ था। विवाह के दौरान तथा बाद मे दिये गये सोने चांदी के आभूषण व अन्य सामान राहुल की पत्नी शालू के पास ही रखा हुआ था. तथा विवाह के दोनो पति पत्नी के मध्य वैवाहिक जीवन सही प्रकार से चलता रहा परन्तु बाद मे विपक्षीया न.1 व उसके मायके वाले छोटी–छोटी बातों को लेकर विवाद करने लगे। दिनांक 6–5–26 को सभी विपक्षीगण प्रार्थीया के घर आये तथा प्रार्थीया व प्रार्थीया के पुत्र की इंच्छा के विरूद्ध विपक्षीया न.1 जो कि करीब 4 माह की गर्भवती थी को अपने साथ ले गये। और जाते समय विपक्षीगण न.3 शुभम व विपक्षी न.4 श्रीमति बेबी प्रज्ञर्थीया के घर मे रखे सोने चांदी के आभूषण व लगभग दो लाख रूपये नकद भी अपने साथ ले गये। दिनांक 31–5–26 को समय करीब सुबह 10 बजे दिन जब प्रार्थीया व उसका पुत्र राहुल एवं रिश्तेदारो के साथ मामा धर्मवीर व फूफा संदीप व नाना बदलू पुत्र वधू विपक्षीया न.1 शालू को लिवा लाने हेतु विपक्षीगण के घर गये तो सभी विपक्षीगण ने एक राय होकर गाली गलौच मारपीट तथा जान लेवा हमला किया, और प्रार्थीया के कपडे फाड दिये। तथा उसके कान से सोने का कुन्डल झपट कर निकाल लिया। प्रार्थीया लहू लुहान हो गयी और उसके कान मे चांर टांके आये। जिससे प्रार्थीया को गम्भीर चोटे आयी है। विपक्षी न.2 मदन सिंह ने प्रार्थीया का हाथ पकडकर कहा कि तू मेरी लुगाई बन जा और प्रार्थीया को गन्दे व अपशब्द बोलकर उसके साथ गन्दी व अश्लील हरकते की विपक्षी शुभम ने प्रार्थीया के पुत्र राहुल का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया तथा सभी विपक्षीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी और झूठे मुकदमो मे फंसाने की धमकी दी। वाकात की सूचना थाने पर दी, परन्तु पुलिस ने तो रिपोर्ट लिखी नाही डॉक्टरी मायना कराया तब मजबूर होकर वाकात का प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को बजरिये रजिस्टरी डाक दिया जिसकी प्रति व रसीद रजिस्टरी हमरिश्ता है।" अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, उ0प्र0 पुलिस प्राप्ति रसीद शिकायती पत्र की छायाप्रति, अपनी एक फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये हैं।

4. उक्त प्रकरण के संबंध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी सं0 1 परिवादिया की बहू है व दोनों पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद है। मामलें के समस्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थिया को है तथा साक्षी भी परिचित हैं एवं वह साक्ष्य कराने में सक्षम है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। ***माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 472*** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं प्रस्तुत मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तद्नुसार परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।
2. फौजदारी लिपिक नियमानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
3. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही परिवाद की पत्रावली में शामिल मिशल हो।
4. पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 14.08.2026 को पेश हो।

(मेहा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय
सहारनपुर।
JO CODE : UP 3708

Digitally signed by MEHA
Date: 2026.07.21 10:02:31 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court